कुलसचिव कार्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ–226007

सन्दर्भ संख्या : ....

दिनांक :..........................

कार्यालय आदेश

Anti Ragging and Anti Racial abuse helpline 1800–180–5522 पर दिनांक 09.07.2019 को सांय 5:30 बजे सीतापुर रोड स्थित लखनऊ विश्वविद्यालय द्वितीय परिसर के विधि संकाय में अध्ययनरत् शोध छात्र श्री आदर्श कुमार सिंह पुत्र श्री सुरेश सिंह द्वारा की गई शिकायत Ref No. ARCC/ U.P.-5528 पर लखनऊ विश्वविद्यालय की रैगिंग कमेटी द्वारा विवेचना कर दिनांक 17.08.2019 को निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की:–

1. वादी श्री आदर्श कुमार सिंह पुत्र श्री सुरेश सिंह शोध छात्र विधि संकाय, निवासी ग्राम व पोस्ट–पूरा बाजार, जिला–फैजाबाद, उ0प्र0 ने अभिरक्षक, होमी जहाँगीर भाभा अन्तर्राष्ट्रीय छात्रावास लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ छात्रा मर्यादा के प्रतिकूल आचरण कर धमकी दी।
2. अपनी समस्याओं के संबंध विश्वविद्यालय स्तर के अधिकारियों से सम्पर्क न कर उनके निराकरण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एण्टी रैगिंग हेल्पलाइन पर अपने कनिष्ठ छात्रों पर रैगिंग किये जाने की कपोल–कल्पित शिकायत की।
3. अपने लिए छात्रावास आवंटन का दबाव बनाने के लिए छोटी–2 बातों को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर शिकायत की जो शोध छात्र के लिए उपयुक्त नहीं है।
4. रैगिंग समिति के सदस्यों की संस्तुति पर आदर्श सिंह को उक्त कृत्य के लिए कारण बताओं सूचना निर्गत कर दो दिन के अन्दर स्पष्टीकरण मांगा गया।

   दिनांक 16.08.2019 को श्री आदर्श सिंह ने लिखित रूप में अपना जो स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने विश्वविद्यालय अधिकारियों के ऊपर गंभीर आरोप लगा दिये। पत्र की भाषा शैली छात्र मर्यादाओं के सर्वथा विपरीत है।
5. रैगिंग समिति के सदस्यों ने गुरूकुल की परम्परा का अनुश्रवण करते हुए श्री आदर्श सिंह की प्रथम गलती मानते हुये इन्हें अपने आचरण में सुधार लाने का एक अवसर देते हुये यह चेतावनी देने का सुझाव दिया कि यदि इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति करते हैं तो इनका पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा।

एण्टी रैगिंग समिति द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया कि श्री आदर्श कुमार सिंह पुत्र श्री सुरेश सिंह पर एक वर्ष के दोनों सेमेस्टरों /कक्षाओं में इनके द्वारा जो शुल्क विश्वविद्यालय कोष में जमा करायी जाती है उसके योग के 10% का अर्थ दण्ड लगाते हुये इनसे रू0 100/– के भारतीय स्टैम्प पेपर पर कुलानुशासक कार्यालय द्वारा निर्धारित आदर्श पाक्वृत्त का शपथ–पत्र ले लिया जाये एवं आदर्श कुमार सिंह विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा पूर्ण होने तक छात्रावासीय सुविधा से वंचित रहेंगे।

विश्वविद्यालय की एण्टी रैगिंग कमेटी द्वारा प्रस्तुत अभिमत पर मा0 कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 22.08.2019 के अनुपालन में श्री आदर्श कुमार सिंह पुत्र श्री सुरेश सिंह शोध छात्र विधि संकाय, निवासी ग्राम व पोस्ट पूरा बाजार, जिला फैजाबाद, उ0प्र0 पर एक वर्ष के दोनों सेमेस्टरों कक्षाओं में इनके द्वारा जो शुल्क विश्वविद्यालय कोष में जमा कराया जाता है, उसके योग का 10% का अर्थदण्ड लगाया जाता है। साथ ही श्री आदर्श कुमार सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वे रू0 100/– के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर कुलानुशासक कार्यालय द्वारा निर्धारित आदर्श पाक्वृत्त का शपथ –पत्र प्रस्तुत करें। यह भी निर्देशित किया जाता है कि श्री आदर्श कुमार सिंह विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा पूर्ण होने तक छात्रावासीय सुविधा से वंचित रहेंगे।

अग्रेत्तर इस प्रकार की घटना में लिप्त पाये जाने पर भारतीय दण्ड विधान के अनुसार यथोचित कठोर कार्यवाही सम्बन्धित के विरुद्ध की जायेगी। सम्बन्धित अर्थदण्ड जमा करने की रसीद तथा शपथ पत्र मूल रूप में कुलानुशासक कार्यालय में तथा उक्त दोनों की छायाप्रति कुलसचिव कार्यालय में जमा करेंगे।

(एस0के0 शुक्ल)
कुल सचिव

(उ०कापी)

संख्या– GA/20965-79 दिनांक– 06/09/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, कुलपति मा० कुलपति जी, ल०वि०वि० लखनऊ के सूचनार्थ।
2. निजी सचिव प्रतिकुलपति, मा० प्रतिकुलपति जी ल०वि०वि० लखनऊ के सूचनार्थ।
3. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, ल०वि०वि०।
4. संकायाध्यक्ष, विधि संकाय,ल०वि०वि०।
5. मुख्य अभिरक्षिका, ल०वि०वि०।
6. एण्टी रैंगिग समिति के सदस्यगण, ल०वि०वि०।
7. कुलानुशासक, ल०वि०वि०।
8. परीक्षा नियंत्रक, ल०वि०वि०।
9. वित्त अधिकारी, ल०वि०वि०।

10.निदेशक, आई०पी०पी०आर० ल०वि०वि००

11.ओ०एस०डी०, आई०एम०एस० ल०वि०वि०।

12.प्रोवोष्ठ, होमी जहांगीर भाभा छात्रावास, ल०वि०वि०।

10.वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।

11.श्री आदर्श कुमार सिंह पुत्र श्री सुरेश सिंह शोध छात्र विधि संकाय, निवासी ग्राम व पोस्ट–पूरा बाजार, जिला–फैजाबाद, उ०प्र०

✓ 12.इंचार्ज वेबसाईट को इस आशय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें

3.9.2019.

उप कुलसचिव